रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276294
CG-DL-E-17092026-276294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
No. 750] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 820(अ).— केंद्र सरकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में, –

(क) नियम 8 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत : –

"(1) अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार के आवेदन पर देय शुल्क उस अनुसूची में ऐसे आवेदन के लिए तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर होगी।"

(ख) नियम 12 में, उप-नियम (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत : –

"(1क) पंद्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए छत्तीस पृष्ठों वाला एक साधारण पासपोर्ट, इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या बच्चे के अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगा।"

[फा. सं. 401/01/20/2025]

बी.एस मुबारक, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

नोट– पासपोर्ट नियम, 1980 को 11 दिसंबर, 1980 की अधिसूचना संख्या सामान्य सांविधिक नियम 691(अ) के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें पिछला संशोधन दिनांक 20 जून, 2026 की अधिसूचना संख्या सामान्य सांविधिक नियम 156(अ) के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

G.S.R. 820(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:─

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, ─

(a) in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely : ─

“(1) The fee payable on every type of application specified in Schedule IV shall be at the rates specified in the corresponding entry for such application in that Schedule.”.

(b) in rule 12, for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely : ─

“(1A) An ordinary passport for a child below the age of fifteen years, containing thirty-six pages, shall be in force for a period of five years from the date of its issue or until the child attains the age of eighteen years, whichever is earlier”

[F. No. 401/01/20/2025]

B.S. MUBARAK, Jt. Secy. and Chief Passport Officer.

Note.─ The Passport Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 156 (E), dated the 20th June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA